एस.एम.एस. कॉलेज के माइक्रो बायोलॉजिकल लैब के कोल्ड स्टोरेज में लगी आग

सूचना पाकर मौके पर पहुंची तीन दमकलों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

जयपुर। राजधानी के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रो बायोलॉजिकल लैब के कोल्ड स्टोरेज में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गनीमत यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग से यहां रखा सरकारी रिकॉर्ड और अन्य जरुरी सामान जलकर खाक हो गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाने तथा माइक्रोबायोलॉजी लैब में हुए संसाधनों के नुकसान का आंकलन कर समस्त व्यवस्था जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने माइक्रोबायोलॉजी लैब में आगजनी की घटना का किया निरीक्षण और जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।

- आग से कोल्ड स्टोरेज में रखी विभिन्न जांच किट व उपकरण जले। वहीं 7 करोड़ रुपए कीमत की मशीन जलने और उनके खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है।
- जांच के लिए सैंपल आरयूएचएस अस्पताल भिजवाए।

एएफओ शुभम शर्मा ने बताया कि सुबह 5 बजकर 25 मिनट पर घाटगेट कंट्रोल रूम को आग की जानकारी मिली। इस पर दमकल की एक गाड़ी को मौके पर भेजा गया। आग माइक्रोबायोलॉजिकल वार्ड में लगी थी, जिसमें लाखों रुपए की मशीनें, दस्तावेज और कई उपकरण रखे हुए थे। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस पर दमकल की दो और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया।

आग का विकराल रूप देख पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुला लिया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक अंदर रखी मशीनें और सामान जल गया। सूचना पर अस्पताल के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

उधर सूचना मिलने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचकर माइक्रोबायोलॉजी लैब में आगजनी की घटना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवप्रसाद नकाते, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को आग लगने की घटना की जांच के लिये पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये समुचित कदम उठाने तथा माइक्रोबायोलॉजी लैब में हुए संसाधनों के नुकसान का शीघ्र आंकलन कर समस्त व्यवस्थायें जल्द सुचारू करने के निर्देश दिये।

वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. भारती मल्होत्रा ने बताया कि सुबह फोन पर आग लगने की सूचना मिली। इसको देखते हुए बिजली के सभी उपकरण बंद करवा दिए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई और आग पर काबू कर लिया। आग बुझने के बाद हमने देखा कि कोल्ड रूम, जहां किट वगैरह रहती है। वहां सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। पास में अलमारियां है, जिसमें फाइलें और स्टूडेंट्स की थीसिस पड़ी थी, वहां ज्यादा नुकसान हुआ है।

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ डॉ. मल्होत्रा ने चिकित्सा मंत्री को बताया कि लैब के कोल्ड स्टोरेज रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। अलार्म बजने एवं दमकलों के समय से पहुंचने के कारण आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कोल्ड स्टोरेज में रखी विभिन्न जांच किट, सीसीटीवी कैमरा, एसी की आउटर यूनिट आदि आग की चपेट में आये हैं लेकिन प्राथमिक तौर पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। विभाग में ही दूसरी लैब में वैकल्पिक व्यवस्था कर जांच शुरू कर दी गई है और आरयूएचएस में भी जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। अभी हमारे पास जांच के जो सैंपल थे, वो आरयूएचएस अस्पताल भिजवाए गए हैं। आग की घटना के कारण जांच एवं ऑपरेशन आदि प्रभावित नहीं होंगे। जांच किट की जल्द खरीद भी कर ली जाएगी। साथ ही, सिविल रिपेयर के कार्यों को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।

इस एडवांस लैब में टीबी और कोविड से रिलेटेड एडवांस लेवल की जांच की जाती है। इसके अलावा कोविड की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच भी इसी लैब में की जाती थी। इसके लिए एडवांस तकनीक की मशीन साल 2021 में स्टेबल की गई थी। इस आग से एडवांस लैब में रखी 7 करोड़ रुपए कीमत की मशीन जलने और उनके खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके अलावा 20 से ज्यादा एसी और फर्नीचर समेत अन्य सामान भी जल गया।

पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में दिखे यू.डी.एच. मंत्री खर्रा

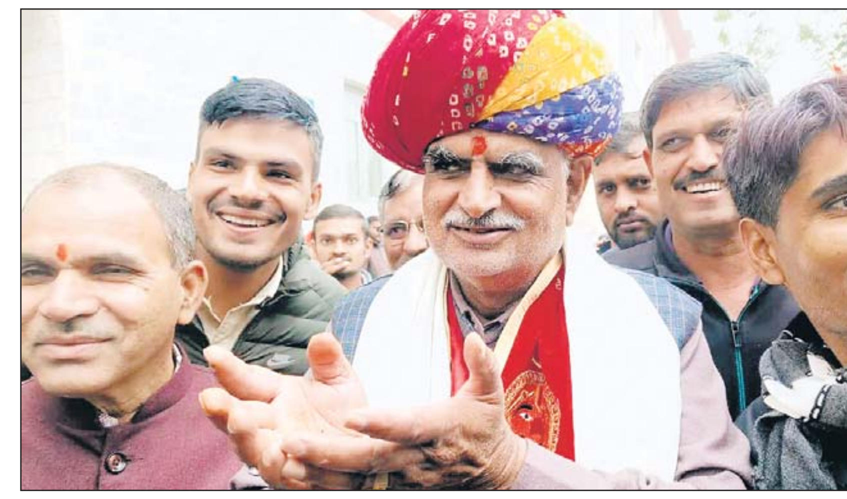

यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सोमवार को पदभार संभालने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने अभिवादन किया।

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सोमवार को सचिवालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। झाबर सिंह खर्रा ने संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी कुर्सी पर बैठे। पदभार ग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में खर्रा के समर्थक मंत्री का अभिवादन करने पहुंचे। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि उनकी एक ही प्राथमिकता है कि विभाग की हर योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो।

खर्रा ने मंगलवार को दिसंबर 2023 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ अधिकारियों से बैठक करने की बात कहते हुए चेताया कि अधिकारियों से मिलने वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट का 2 दिन अध्ययन करेंगे और उनके पास आई सूचनाओं से मिलान करेंगे। उसके दो दिन बाद दोबारा बैठक कर उनकी सूचना और अधिकारियों से मिली प्रोग्रेस रिपोर्ट में यदि अंतर होगा, तो उस पर स्पष्टीकरण मांग कर आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई जगह से शिकायत आ रही है कि 6 महीने से सड़कें खुदी पड़ी हैं, जबकि नियम है कि 15 दिन से ज्यादा कोई सड़क खुदी नहीं रहनी चाहिए। अयोध्या में रामलला विराजमान होने को लेकर खर्रा ने कहा कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान-मजदूर वर्ग में एक ही बात चलती है कि जिस व्यक्ति में राम है, उसमें इंसानियत है और जिस व्यक्ति से राम निकल गया, उसमें से इंसानियत निकलकर वो असुर बन गया। इस दौरान उन्होंने करणपुर विधानसभा चुनाव में मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को मिली हार पर कहा कि जनता का निर्णय स्वीकार है।

50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार करने के निर्देश दिये

जयपुर। प्रदेश की उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारीयों को निर्देश दिए कि प्रथम 100 दिवस की कार्य योजना के तहत प्रदेश में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किये जाएं। प्रत्येक जिले में एक एक आंगनबाड़ी केन्द्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए जिस पर सभी आधारभूत सुविधाएं, ग्रोथ मॉनीटरिंग डिवाईस, खिलौनें पुस्तकें फर्नीचर आदि उपलब्ध हों इसके साथ ही उन्होंने सीएसआर के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों के विकास को बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया।

उपमुख्यमंत्री ने बैठक में निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं रामअवतार मीणा को 100 दिवसीय कार्ययोजना के सभी बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिसमें समस्त ग्राम पंचायतों में पोषण पंचायतों का गठन, प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर न्यूनतम 6 समुदाय आधारित दिवसों का आयोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र परिक्षेत्र में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की वृद्धि निगरानी पोषण ट्रेकर पर दर्ज करवाना, समस्त 61 873 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाने, 61 नवसृजित परियोजनाओं के संचालन की कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दु प्रमुख हैं। बैठक में महिला अधिकारिता आयुक्त ओमप्रकाश बुनकर भी उपस्थित रहे।

परिवहन को आमजन के लिए बेहतर बनाये : डॉ. प्रेमचंद

जयपुर। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अधिकारी आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 100 दिन की कार्य योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य करे।

डॉ. बैरवा सोमवार को यहां शासन सचिवालय में परिवहन विभाग एवं राजस्थान रोड़वेज से जुड़े अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे । उपमुख्यमंत्री ने परिवहन एवं रोड़वेज की 100 दिन की कार्य योजना के तहत वाहन फिटनेस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, प्रदूषण जाँच केंद्रों को और अधिक पारदर्शी बनाने,महिलाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विभागीय संरचना, प्रमुख कार्यों, राजस्व अर्जन, नियम-अधिनियम से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की।

परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने वाहन पंजीयन, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण के साथ परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए किए जा रहें नवाचारों पर प्रजेंटेशन दी। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने निगम में बसों की वृद्धि हेतु वित्तीय आवश्यकता, वाहनों की स्थिति, रोड़वेज बसों में विभिन्न श्रेणियों को दी जा रही रियायतों, मासिक आय व्यय विवरण, संचालन लागत की जानकारी उपमुख्यमंत्री को दी।

राठौड़ की याचिका पर सुनवाई 16 तक टली

- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 81 विधायकों की ओर से इस्तीफे देने का मामला

जयपुर, (का.सं.)। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 81 विधायकों की ओर से स्पीकर को इस्तीफे देने से जुड़े मामले में भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। समयाभाव के चलते एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 16 फरवरी को तय की है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता राजेन्द्र राठौड ने इस मामले में शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढा को भी पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि इन विधायकों ने अन्य विधायकों के इस्तीफे स्पीकर को दिए थे। इसलिए इन्हें पक्षकार बनाया जाए, जिससे यह पता चल सके कि 81 एमएलए ने किसके दबाव में विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे थे। इसके अलावा अदालत से 81 एमएलए की ओर से 25 सितंबर 2022 से वेतन-भत्तों के तौर पर प्राप्त किए करीब 18 करोड़ रुपए के संबंध में भी उचित आदेश देने का आग्रह किया है।

युवती को ट्रांसजेंडर के साथ रहने की अनुमति

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुडे मामले में युवती को याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर के साथ रहने की अनुमति दी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश ट्रांसजेंडर की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

अदालती आदेश की पालना में सोमवार को युवती को अदालत में पेश किया गया। अदालत की ओर से पूछने पर युवती ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है। इस पर अदालत ने कहा कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ जा सकती है। वहीं अदालत ने एएजी को कहा कि वह उन्हें सुरक्षित पहुंचाना भी सुनिश्चित कराए।

आम सूचना मेरा अभिभाष्य श्री श्यामसुन्दर शर्मा निवासी म.नं. 06, श्रीरामनगर कॉलोनी, बैनाड रोड, जयपुर की ओर से एवं उनके निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित प्रकार से विज्ञापन बेदखल करने कि घोषणा प्रकाशन करने हेतु प्रेषित है- यह कि मेरे अभिभाष्य श्यामसुन्दर शर्मा का पुत्र चन्द्रशेखर कहने में नहीं चलने की वजह से स्वयं कि चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करने की घोषणा करता है व उसकी सम्पत्ति मे किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है चन्द्रशेखर के द्वारा किये गये कार्य के लिये मेरे अभिभाष्य श्यामसुन्दर शर्मा व उनका परिवार की जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः सूचित रहे।
नोट-इस पत्र की एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित रख ली गई है।
(योगेश कुमार टेलर) एडवोकेट, मो. 8696877999

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर-डी-664, जगदम्बा नगर-डी, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 249.47 वर्गगज सम्पूर्ण को जे.डी.ए. द्वारा सर्वप्रथम श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर को दिनांक 16.07.2019 ईस्वी को आवंटित किया गया था। तत्पश्चात श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 18.11.2021 ईस्वी को जयपुर में हो गया था। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी एवं तीन पुत्रान श्री रूपनारायण गुर्जर, श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर व श्री मोहन लाल गुर्जर एवं तीन पुत्रीया श्रीमती कमली देवी, श्रीमती मीरा देवी व श्रीमती गीता देवी इनके अलावा स्व. श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर के अन्य कोई वारिसान व उत्तराधिकारी नहीं हैं। जो कि स्व. श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर की पत्नी श्रीमती सोनी देवी व दोनों पुत्रान श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर व श्री मोहन लाल गुर्जर एवं तीन पुत्रीया श्रीमती कमली देवी, श्रीमती मीरा देवी व श्रीमती गीता देवी उक्त वर्णित प्लाट नम्बर डी-664 का अपने अपने 1/7-1/7 हिस्से का त्याग अपने पुत्र व भाई श्री रूपनारायण गुर्जर, को एक हकत्याग पत्र दिनांक 29.12.2023 को निष्पादित किया गया। तत्पश्चात मेरे अभिभाष्या श्री रूपनारायण गुर्जर द्वारा आधार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड से गृह ऋण ले रहे है तथा उक्त ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।
दिनांक 08.01.2024 सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट
मो.9214318413, एडी/7-ए, देवी मार्ग बनीपार्क, जयपुर-302016

आम सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मूलसिंह तॅवर पुत्र स्व. रामदेव सिंह तॅवर का प्लाट नम्बर-30 उपकार नगर-।। (बी) बालाजी विहार-6 बोयतावाला, बेनाड रोड जयपुर को नूतन कँवर पत्नि जयसिंह तॅवर व जयसिंह तॅवर पुत्र मूलसिंह तॅवर, हस्तान्तरण, रहन व अन्तरण करने पर आमादा है उक्त सम्पत्ति विवादास्पद है इस बाबत कोई भी व्यक्ति/संस्था ऋण, अन्तरण, संव्यवहार इत्यादि करेगा, तो स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
सीमा शर्मा, एडवोकेट, मो. 7740851178

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सिविल न्यायाधीश (पश्चिम) जयपुर महानगर (द्वितीय)
झब्बालाल बनाम सियाशरण
दावा बाबत निरस्त किये जाने विक्रय-पत्र
मुकदमा नं. 74 सन् 94
बनाम (1) डिम्पल पुत्री स्व. सियाशरण पत्नि अमित (2) सिम्पल पुत्री स्व. सियाशरण पत्नि ज्योति साकिन प्लाट नं. बी-41 व 28 विजय नगर सैकिण्ड करतारपुरा, जयपुर
चूंकि वादी नइ इस अदालत में तारीख ......माह.....सन् 20...को 1. झब्बालाल बनाम 2. सियाशरण दायर की जो कि वाद में फोत हो गया और चूंकि प्रतिवादी 1/4 मजूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी 1/4 मजूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3.... बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1....... आपको तारीख 11 माह 01 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आ तीख 06 माह 01 सन् 2024 को जारी किया गया। मोहर अदालत
दस्तखत-रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर-द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण स्थान जयपुर
सुदर्शनपुरा गृह निर्माण स.स. विरूद्ध पंच निर्णायक व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन
प्रार्थना-पत्र संख्या - 05सन् 13
नाम श्रीमती सविता केजरीवाल पत्नी श्री ललित कुमार केजरीवाल जाति... पता प्लॉट नम्बर ए-224, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर
उक्त ... ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 25 माह 01 सन् 2024 को .... पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 15 माह 12 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
मोहर अदालत महानगर न्यायालय परिसर, बनीपार्क, जयपुर-302016

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) (आई.ए. डिवीजन - उद्योग I क्षेत्र), नई दिल्ली उनके पत्र सं- F. No. IA-J-11011/278/2021-IA-II(I) के दिनांक 04.09.2023 ने प्लॉट नं. बी-234, ई-221 (ए), ई-221 (एक खुला क्षेत्र), रोड नं.9, वीकेआई क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान में प्रस्तावित मौजूदा इकाई एचएसडी स्टील बार/एंगल/चैनल यूनिट का विस्तार 39,000 टीपीए से 1,65,000 टीपीए के लिए मंगला इस्पात (जयपुर) लिमिटेड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार 'पर्यावरण स्वीकृति ' प्रदान की है। एवम वेबसाइट http://environmentclearance.nic.in/ पर भी उपलब्ध है। यह सार्वजनिक नोटिस पर्यावरण स्वीकृति पत्र के x की शर्त संख्या (i) (विविध) के अनुपालन में जारी किया गया है।
वास्ते - मंगला इस्पात (जयपुर) लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), कमरा नंबर 11, अरावली भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, उनके पत्र सं- F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/ Sectt/ Project/ Cat.3(a)(23676)/2021-2022 के दिनांक 03.01.2024 ने प्लॉट नं SP-187-189 A) and SP-187-189 (B),RIICO इंडस्ट्रियल एरिया, बगरू एक्सटेंशन, फेज-II, तहसील- बगरू, जिला- जयपुर (राजस्थान) में प्रस्तावित एमएस बिलेट्स/ सिल्लियां 2,37,600 टीपीए और टीएमटी बार/ स्ट्रक्चरल आइटम/पाइप 2,97,000 टीपीए निर्माण की इकाई के लिए मंगला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार 'पर्यावरण स्वीकृति 'प्रदान की है। एवम वेबसाइट http://environmentclearance.nic.in/ पर भी उपलब्ध है। यह सार्वजनिक नोटिस पर्यावरण स्वीकृति पत्र के x की शर्त संख्या (i) (विविध) के अनुपालन में जारी किया गया है।
वास्ते - मंगला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड

तीये की बैठक

हमारे पूजनीय जीजाजी **श्री रामगोपाल जी गुर्जर (चैची)** पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी गुर्जर का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 07.01.2024 को हो गया है। जिनकी ससुराल पक्ष की तीये की बैठक दिनांक 09.01.2024 मंगलवार को दोपहर 2:15 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान- 19-20, गणेश नगर, मोती डूंगरी, जयपुर पर होकर सांय 3 बजे मुख्य बैठक में सम्मिलित हो जाएगी।
शोक संतृप्त- गणेश, जगदीश, मोतीलाल, प्रकाश एवं समस्त हरियाणा परिवार।
9414769854, 9785022592

शोक सन्देश

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूज्यनीय माताजी श्रीमती **बबीता कोडनानी** धर्मपत्नी स्व. श्री रामकिशन कोडनानी का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2024 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.01.2024, समय 4:00 बजे स्थानः- श्रीकृष्णा मन्दिर, 20 दुकान, आदर्श नगर, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- विशाल- जिया (पुत्र-पुत्रवधू), शिवकुमार- कोमल (देवर-देवरानी), मनीष- मीनाक्षी (बेटी- दामाद), सौरभ, देव (भतीजे) एवं समस्त कोडनानी परिवार। फर्मः- जूम मोबाइल, कल्की रेंटल्स, स्टूडियो रियल्टी।
मो.- 8233321602/ 9799839305

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के अमृत महोत्सव समारोह में दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बिरला ऑडिटोरियम में उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष सानिध्य के रूप में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निंबाराम क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं प्रफुल्ल आंकात राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मौजूद रहे।

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 वर्षीय पीडिता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ विवाह कर संतान का पिता भी बना है, लेकिन घटना के समय पीडिता नाबालिग थी और उस समय दोनों आपस में विवाहित भी नहीं थे। ऐसे में अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि प्रकरण में भले ही पीडिता व अन्य लोग पक्षद्रोही हुए हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ संबंध बनाए थे।

ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्रगति एवं समृद्धि का सूत्र : मुख्यमंत्री

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत देने के लिए ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार हेतु जनहित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारी बिजली कम्पनियों पर लगभग 90 हजार करोड़ का ऋण है। बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ऋण को चुकाने में जा रहा है। जबकि राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अकूत प्राकृतिक सम्पदा प्राप्त है। इस क्षेत्र में उचित नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन से ऊर्जा विभाग राज्य के विकास एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु वृहद स्तर पर संसाधन एवं रोजगार सृजित कर सकता है।

- 'रबी सीजन को देखते हुए किसानों को मिले बिजली की निर्बाध आपूर्ति'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य का रोडमैप तैयार करें। विभाग का ध्यान आंकड़ों की हेर-फेर की बजाय वास्तविक एवं ठोस परिणाम देने पर केन्द्रित हो। साथ ही, वे जनता की समस्याओं को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। उन्होंने कहा कि आमजन को बिजली सस्ती दर पर एवं सुचारू रूप से मिले यह सुनिश्चित किया जाए। रबी की फसल को देखते हुए किसानों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले।

शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में विभिन्न कारणों से छत्तीसगढ़ स्थित राजस्थान को आंवटित कोयला खदानों से आपूर्ति बाधित रही थी। अब बेहतर समन्वय के द्वारा राज्य को वहां से कोयला आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। ऊर्जा विभाग को अपनी सभी विद्युत उत्पादक इकाईयों के प्रभावी संचालन एवं विद्युत वितरण का कार्य सुचारू रूप से करना होगा। इकाईयों के रख-रखाव एवं संचालन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, प्रभावी मॉनिटरिंग के द्वारा बिजली छिजत की समस्या का भी निराकरण करना होगा।

आम सूचना मेरे अभिभाष्य अब्दुल रशीद पुत्र श्री कमरूद्दीन, आयु 41 वर्ष एवं श्रीमती तसलीम पत्नी श्री अब्दुल रशीद, आयु 37 वर्ष, निवासीगण- 273, जे.पी. कॉलोनी, सेक्टर 3, शास्त्री नगर, जयपुर के हैं। मेरे अभिभाष्य द्वारा वर्ष 2015 में अपनी उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में मेरे अभिभाष्य के परिचित युसुफ खान पुत्र श्री नजीर खाँ निवासी प्लॉट नम्बर 303, जे.पी. कालोनी, कच्ची बस्ती, सेक्टर 03, शास्त्री नगर, जयपुर से उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में सहवन से एक इकरारनामा, मुख्त्यारनामा, वसीयत आपसी सहमति से समझौता पत्र निष्पादित हो गया था, जिसे मेरे अभिभाष्य उक्त आम सूचना के माध्यम से निष्प्रभावी कर रहे हैं। यदि भविष्य में उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का बेचान खरीदान उक्त दस्तावेजात के आधार पर होता है तो वह शून्य निष्प्रभावी समझा जावें।
जयपुर (सतीश सैनी) एडवोकेट
दिनांक- 05.01.2024 मो. 9828837837

खोया पाया
मेरा मकान संख्या 82/59 मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। कृपया मिलने पर सूचित करें-सुभाष बिहानी-9460762286

मैं माधव प्रसाद शर्मा पुत्र श्री फूलचंद शर्मा निवासी ए-68 पद्मावती कॉलोनी निर्माण नगर के सी-780 पार्थ नगर ग्राम विमलपुरा, सालिगरामपुरा, सांगानेर स्थित मकान का मूल अलॉटमेंट लेटर नम्बर F-1(C-780)JDA/ZONE/-14/2023 D-2780 एवं कब्जा पत्र F-39(C-780)JDA/जोन 11 पार्थ नगर/2007/7483 कहीं गुम हो गये हैं। मिलने पर सूचित करें। मो. 9414265232

हाथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना -सरस्वती नगर के प्लाट नंबर - 11 और 12 की सोसाइटी रसीद खो गई है सूचित करे -विजय लक्ष्मी भटनागर मो -9829094853

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जन्मदिन की हार्दिक बधाई

हनुमानसिंह जी भाटी IAS (R)
पुत्र पद्मश्री नारायणसिंह जी भाटी IPS
पूर्व संभागीय आयुक्त जयपुर, पूर्व सचिव ज.वि. प्रा.
पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
पूर्व कुलपति, श्री करण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
पूर्व कुलपति, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
पूर्व कुलपति, हरि देव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ
शुभेच्छु :- ए.के.यादव, वरूण यादव, लालचंद चौधरी, सुरेश मीना (सिरसी), जुगल, विजय सिंह शेखावत, रवि राठौड़